



Office of the Registrar Reservation & Coordination Cell

UH/RCC/F-88/2023/8644

January 20, 2023

NOTIFICATION

Sub:- Reimbursement of Medical Expenses – Claim from two sources – from Insurance Company and University of Hyderabad.

Ref: -1) O.M.No.S.11011/4/2023 - CGHS(p) dt. 19.02.2009 of GoI, MH&FW, DH&FW, New Delhi.

2) Approval of the Vice-Chancellor dated 10.01.2023.

Approval of the Competent Authority for implementation of Office Memorandum citied (1) under reference with immediate effect is hereby notified for the information of all concerned.

The O.M. Provides that the beneficiaries who have subscribed to Medical Insurance Policies in addition to availing facilities under Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 may be allowed to claim reimbursement of expenses incurred by them towards treatments from both the sources subject to condition that the reimbursement from such sources should not exceed to the total expenditure incurred by the beneficiary on the treatment. The claim bills will be regulated as under:

- 1. The beneficiary shall prefer the first claim to the insurance company and the second claim to the University of Hyderabad.
- 2. The beneficiary shall prefer medical claim first on the insurance company by submitting original vouchers/bills. Before submitting the claim bill to the Insurance company, the beneficiary is advised to keep two sets photocopies of original vouchers/bills etc. for his/her reference/record.
- 3. The beneficiary shall ask the Insurance Company to issue a certificate indicating the amount reimbursed to him/her against the claim. The Insurance Company concerned may retain the original vouchers in such cases.
- 4. The beneficiary may then prefer his/her medical claim along with photocopies of the vouchers/bills duly certified and signed in ink, under the stamp of the insurance company on the reverse side of the vouchers/bills to the University.
- 5. Such bills will be processed for reimbursement as per the CGHS tariff/CS (MA) Rules, as would be applicable.
- 6. Alternatively, a copy of the bills directly furnished by the hospital indicating the amount of insurance claimed by the beneficiary under cashless treatment may also be furnished for second claim from the University.
- 7. The other rules and regulations pertaining to medical reimbursement, if any, not covered in this circular, shall remain unchanged.

These orders shall come into force prospectively.

To

All Faculty/Non-Teaching Employees & Pensioners of University of Hyderabad.

Copy to:

- 1. Finance Officer
- 2. Deputy Registrar (Medical Bills)
- 3. OSD to VC/PS to PVC
- 4. PS to Registrar
- 5. PS to FO

6. PS to CE

- 7. DR (E-I/E-II)
- 8. Official Language (Hindi) File
- 9. Director, CC&CNF- with a request to place this circular on the University website

हैदराबाद विश्वविद्यालय | University of Hyderabad



प्रो. सी.आर.राव रोड, गच्चीबावली सेंट्रल युनिवर्सिटी पी.ओ., हैदराबाद - 500 046 तेलंगाणा राज्य, भारत.



कुलसचिव का कार्यालय आरक्षण एवं समन्वय कक्ष

UH/RCC/F-88/2023/8646

परिपत्र

दि. 20.01.2023

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति - दो स्रोतों से दावा - बीमा कंपनी और हैदराबाद विश्वविद्यालय से.

1. भा.स., स्वा. एवं प.क.मं., स्वा. एवं प.क.वि., नई दिल्ली का.ज्ञा. सं. 11011/4/2023 - CGHS(p) दि. 19.02.2023. 2. क्लपित महोदय का अनुमोदन, दि. 10.01.2023.

संदर्भित कार्यालय ज्ञापन (1) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है.

इस का.जा. के अनुसार जिन लाभार्थियों ने केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के तहत स्विधाओं का लाभ उठाने के अलावा चिकित्सा बीमा पॉलिसियों की सदस्यता ली है, उन्हें दोनों स्रोतों से उपचार के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जा सकती है, तथापि, ऐसे स्रोतों से की गई प्रतिपूर्ति, उपचार पर लाभार्थी द्वारा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होनी चाहिए. दावा बिलों को निम्नान्सार विनियमित किया जाएगा:

- 1. लाभार्थी बीमा कंपनी में पहला दावा और हैदराबाद विश्वविद्यालय में दूसरा दावा करेगा.
- 2. लाभार्थी मूल वाउचर/बिल जमा करके पहले बीमा कंपनी में चिकित्सा दावा करेगा. लाभार्थी को सलाह दी जाती है कि वह बीमा कंपनी में दावे का बिल जमा करने से पहले, अपने संदर्भ/रिकॉर्ड के लिए मूल वाउचर/बिल आदि की दो सेट फोटोकॉपी अपने पास रखे.
- 3. लाभार्थी बीमा कंपनी से दावे के विरुद्ध उसे प्रतिपूर्ति की गई राशि को इंगित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहेगा. संबंधित बीमा कंपनी ऐसे मामलों में मूल वाउचर अपने पास रख सकती है.
- 4. इसके बाद लाभार्थी अपने चिकित्सा दावे को वाउचर/बिल की फोटोकॉपी के साथ विधिवत प्रमाणित और स्याही में हस्ताक्षरित, वाउचर/बिल के पीछे की तरफ बीमा कंपनी की मूहर के अधीन विश्वविद्यालय को भेज सकता है.
- ऐसे बिल सीजीएचएस टैरिफ/सीएस (एमए) के लागू नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए संसाधित किए जाएँगे.
- वैकल्पिक रूप से, अस्पताल द्वारा सीधे प्रस्तृत किए गए बिलों की एक प्रति, जिसमें कैशलेस उपचार के तहत लाभार्थी द्वारा दावा की गई बीमा राशि का संकेत हो, विश्वविद्यालय से दूसरे दावे के लिए भी प्रस्तूत किया जा सकता है.
- 7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित अन्य नियम और विनियम, यदि कोई हैं, जो इस परिपत्र में शामिल नहीं हैं, अपरिवर्तित रहेंगे.

हैदराबाद विश्वविदयालय के सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रतिलिपि -

- 1. वित्त अधिकारी
- 2. उप क्लसचिव (चिकित्सा बिल)
- 3. क्लपति के विकाअ/सम-क्लपति के नि.स.

- 4. क्लसचिव के निजी सचिव
- 5. वित्त आधिकारी के नि.स.
- 6. परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव 7. उ.क्ल. (स्था.-I/स्था.-II)
- 8. राजभाषा (हिंदी) फाइल
- 9. निदेशक, सीसी और सीएनएफ- वेबसाइट पर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ